विभाग का नाम :–खाद्य संरक्षा विभाग,

विभाग का पता :– आठवां तल, मयुर भवन, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली. 110001

अतांराकित प्रश्न संख्या :– 201–अतारांकित

दिनांक:– 28–02–2019

प्रश्नकर्त्ता का नाम :–श्री मनोज कुमार

क्या स्वास्थ्य मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :–

	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली में खाने की मिठाई की कितनी दुकानें व रेस्तरां खाद्य संरक्षण से पंजीकृत हैं व कितने बिना पंजीकरण के हैं,	खाद्य संरक्षा विभाग तथा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अबतक कुल 28225 लाईसेंस तथा 90068 पंजीकरण जारी किए गए हैं। जिनमें खाने की मिठाईयो की दुकानें तथा रेस्तरां शामिल हैं। बिना लाईसेंस/पंजीकरण के मिठाई की दुकानें/रेस्तरां का ब्यौरा विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।
ख)	जो रेस्तरां व खाने की दुकाने पंजीकृत नहीं है, उनमें से कितनों पर क्या कार्रवाई की गई, इसका पूर्ण विवरण क्या है, और	जो रेस्तरां व खाने की दुकाने पंजीकृत नहीं है, ऐसे खाद्य कारोबारियों को खाद्य संरक्षा अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। 01 अप्रैल 2018 से 31 जनवरी 2019 तक कुल 742 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
ग)	क्या सभी खाने पीने की दुकानों व रेस्तरां पर फूड सेफ्टी शिकायत नम्बर के बोर्ड लगाए हुए हैं,	इस संदर्भ में जागरूकता फैलाई जा रही है और काफी संख्या में दुकानदार बोर्ड लगा रहे हैं।
घ)	यदि हॉं, तो शिकायत नम्बर क्या है,	शिकायत नंम्बर– खाद्य संरक्षा विभाग, दिल्ली सरकार–1800113921 एफ.एस.एस.ए.आई–1800112100/9868686868
ड)	खाद्य सुरक्षा को देखते हुए नालों पर बनी दुकानों व कूड़ेदानों के साथ बनी दुकानों को क्या खाद्य संरक्षण पंजीकृत प्रमाण–पत्र दिया जाता है,	खाद्य संरक्षा पंजीकरण की प्रकिया पूर्ण रूप से ऑन–लाईन है। सभी खाद्य कारोबारियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र विभाग द्वारा दे दिया जाता है। कानून के अनुसार पंजीकरण की शर्तें पूरी करने की जिम्मेवारी खाद्य कारोबार कर्ता पर है।
च)	यदि नहीं, तो इस तरह जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे दुकानदारों पर क्या कार्रवाई की गई और कब, और	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।
छ)	खाद्य सुरक्षा को लेकर विभाग क्या कदम उठा रहा है?	खाद्य सुरक्षा को लेकर विभाग निम्न कदम उठाता है– 1. विभाग द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं से खाद्य पदार्थों के नमूने समय–समय पर जॉच के लिए उठाए जाते है। मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर उनके विरूद्ध मुकदमें दर्ज किए जाते हैं। 2. विभाग द्वारा दिल्ली में सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को पंजीकृत किया जा रहा

GURPREET SINGH
Administrative Officer

		है। उन्हें पंजीकरण/लाईसेंस निर्गत किया जा रहा है। 3. विभाग द्वारा समय–समय पर मिलावट के विरूद्ध जागरूकता अभियान चलाये जाते हैं।

गुरप्रीत

GURPREET SINGH
Administrative Officer